Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

निहालचन्द आदि बनाम इमानती आदि

किस्म मुकदमा 251क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्याः 250 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
12.01.2024	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण निहालचंद, इन्द्रपाल, देवीलाल, दौलतराम पि. धुंकलराम जाति बिश्नोई के नाम से ब.हि.ब. वाके तहसील सूरतगढ के चक 39 एम.ओ.डी. पटवार हल्का भादवावाली ढ़ाणी की जमाबंदी संवंत 2073 ता 2076 खाता संख्या 71/62 के पत्थर नम्बर 59/267 मु.न. 23 में किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 में 1.400 हैक्टेयर नहरी, 0.1250 हैक्टेयर खाला, पत्थर नम्बर 59/268 मु.न. 39 किला नम्बर 9/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 में 2.2910 हैक्टेयर नहरी, 0.0750 हैक्टेयर खाला, पत्थर नम्बर 59/269 मु.न. 46 किला नम्बर 3/2, 4 में 0.4430 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल खाता 4.0740 हैक्टेयर खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रार्थीगण के उक्त रकबा में जाने हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के सबसे नजदीक स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के सबसे नजदीक स्वीकृत रास्ता चक 39 एम.ओ.डी. के पत्थर नम्बर 60/269 मु.न. 45 के किला नम्बर 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 में स्थित हैं। इस रास्ता से आगे पत्थर नम्बर 59/269 मु.न. 46 के किला नम्बर 1 व 2, 3/1 हैं जो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 के नाम से संयुक्त खाते में खातेदारी दर्ज हैं तथा इससे आगे किला नम्बर 3/2 प्रार्थीगण का हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने के लिए किला नम्बर 1 व 2, 3/1 को पार करना पड़ता हैं जिनमें मंजूरशुदा रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। प्रार्थीगण चक 39 एम.ओ.डी. के पत्थर नम्बर 59/269 मु.न. 46 के किला नम्बर 1 में 0.025 हैक्टेयर व 2 में 0.025 हैक्टेयर व किला नम्बर 3/1 में 0.007 हैक्टेयर उतरदिशा में पश्चिम से पूर्व स्वीकृत हो जाने पर प्रार्थीगण अपने रकबा में आ जा सकते हैं। यही रास्ता प्रार्थीगण की भूमि के सबसे समीपस्थ हैं। प्रार्थीगण वर्तमान में इसी रास्ता से अपनी भूमि में आना जाना करते हैं परन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 12 का स्वर्गवास हो चुका हैं उनके जायज वारिसान कृष्णादेवी पत्नी शेषकरण व धर्मवीर पुत्र शेषकरण हैं जिनके पक्षकार बनाया जावे जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा नो ऑबेजेक्सन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 12 के वारिसान को 12/1 व 12/2 पर पक्षकार दर्ज किया उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

12.01.2024 गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक हाजिर आकर निवेदन किया कि प्रार्थी अगर चाहे जाने वाले रास्ते की भूमि के बदले अप्रार्थीगण को चिपती भूमि दे देवे तो रास्ता स्वीकार करने पर अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध जमाबन्दी व प्रस्तुत रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, प्रार्थीगण को रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता हैं। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता चक 39 एम.ओ.डी. के पत्थर नम्बर 59/269 किला नम्बर 1 में 0.025, 2 में 0.025, 3/1 में 0.007 हैक्टेयर पश्चिम से पूर्व उतरी पासा में हैं। मुताबिक रिपोर्ट प्रस्तावित रास्ता में मकान/पेड़ इत्यादि नहीं हैं। अप्रार्थीगण ने भी अपनी सहमती प्रदान की हैं। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 39 एम.ओ.डी. के पत्थर नम्बर 59/269 मु.न. 46 किला नम्बर 1 में 0.025 हैक्टेयर, 2 में 0.025 हैक्टेयर, 3/1 में 0.007 हैक्टेयर कुल 0.057 हैक्टेयर भूमि इन किलो में पश्चिम से पूर्व उतरी पासा में गैरमुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त रास्ता की भूमि के बदले मे प्रार्थीगण निहालचंद, इन्द्रपाल, देवीलाल, दौलतराम पि. धुंकलराम जाति बिश्नोई के नाम से ब.हि.ब. खातेदारी भूमि चक 39 एम.ओ.डी. तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवंत 2073–2076 के खाता संख्या 71 नया, 62 पुराना में पत्थर नम्बर 59/269 मु.न. 46 के किला नम्बर 3/2 में 0.057 हैक्टेयर भूमि किला नम्बर 3/1 के चिपती हुई स्वीकृत रास्ता की भूमि को छोड़ते हुए अप्रार्थीगण के नाम की जमाबंदी चक 39 एम.ओ.डी. अंतिम चौसला आधार संवंत 2073–2076 के खाता संख्या 11 नया, 195 पुराना में अंकित काश्तकार के हिस्सानुसार रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.01.2024 को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक / राजस्व / रास्ता / 250 / 2023 / 661   दिनांकः– 12.01.2024

तहसीलदार
सूरतगढ़

विषयः– प्रकरण संख्या 250 / 2023 निहालचन्द आदि बनाम इमानती आदि मे निर्णय दिनांक 12.01.2024 .की पालना करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 39 एम.ओ.डी. के पत्थर नम्बर 59 / 269 मु.न. 46 किला नम्बर 1 में 0.025 हैक्टेयर, 2 में 0.025 हैक्टेयर, 3 / 1 में 0.007 हैक्टेयर कुल 0.057 हैक्टेयर भूमि इन किलो में पश्चिम से पूर्व उतरी पासा में गैरमुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त रास्ता की भूमि के बदले मे प्रार्थीगण निहालचंद, इन्द्रपाल, देवीलाल, दौलतराम पि. धुंकलराम जाति बिश्नोई के नाम से ब.हि.ब. खातेदारी भूमि चक 39 एम.ओ.डी. तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवंत 2073–2076 के खाता संख्या 71 नया, 62 पुराना में पत्थर नम्बर 59 / 269 मु.न. 46 के किला नम्बर 3 / 2 मे 0.057 हैक्टेयर भूमि किला नम्बर 3 / 1 के चिपती हुई स्वीकृत रास्ता की भूमि को छोड़ते हुए अप्रार्थीगण के नाम की जमाबंदी चक 39 एम.ओ.डी. अंतिम चौसला आधार संवंत 2073–2076 के खाता संख्या 11 नया, 195 पुराना में अंकित काश्तकार के हिस्सानुसार रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)